



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102020-222373
CG-DL-E-12102020-222373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3128]

No. 3128]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3522(अ).— केन्द्रीय सरकार के लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ओडिशा राज्य में पारादीप-सोमनाथपुर-हल्दीआ से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिस में उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन्स (भूमि उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है उस तारीख से जिस को इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतिया साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन के सम्बन्ध में श्री सनातन मल्लिक सक्षम प्राधिकारी

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पाईपलाईन्स प्रभाग क्वाटर नंबर -103 पीपीटी कॉलोनी मधुवन पारादीप पोस्ट बॉक्स संख्या 83 पारादीप मुख्य डाक घर पारादीप जिला-जगतसिंहपुर ओडिशा -754142 को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ पाइपलाईन पारियोजना						
3 (1) अनुसूची						
जिला :- भद्रक				राज्य :- ओडिशा		
क्र.सं	तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
				हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बासुदेबपुर	खरिदाबिनायकपुर - 100	1609	00	00	10
			1378	00	00	56
2	बासुदेबपुर	सुंगुडा - 77	79	00	00	20
3	बासुदेबपुर	कलासिआ - 61	85	00	00	75

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओआर-1/ई-29478]

पी० सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O. 3522(E).— Whereas, it appears to the Indian Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Paradip-Somnathpur -Haldia a pipeline should be laid in State of Odisha by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Indian Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Sanatan Mallik,

Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division Quarter No. MC-103 PPT Colony, Madhuban Paradip. Post Box No. 83, Paradip Mukhya Dak Ghar, Paradip District – Jagatsinghpur, Odisha – 754142.

SCHEDULE

Indian Oil Corporation Limited						
PROJECT : - PARADIP - SOMNATHPUR - HALDIA PIPELINE PROJECT						
SCHEDULE of 3(1)						
DISTRICT : BHADRAK				STATE: ODISHA		
S.NO.	Name of Tahasil	Name of Village	Plot No.	Area		
				Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BASUDEBPUR	KHARIDABINAYAKPUR 100	1609	00	00	10
			1378	00	00	56
2	BASUDEBPUR	SUNGURA-77	79	00	00	20
3	BASUDEBPUR	KALASIA-61	85	00	00	75

[F.N.R. -11025(11)/2/2019- OR-I / E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3523(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1267 तारीख 15 मई 2019, जो भारत के राजपत्र संख्या 29 तारीख 14-20 जुलाई 2019, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में “पारादीप - सोमनाथपुर - हल्दीआ प्राइवेट पाइपलाइन पारियोजना”, तहसील- बासुदेवपुर, जिला- भद्रक में उत्पाद परिवहन के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 14.09.2019 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची					
तहसील का नाम :- बासुदेबपुर		जिला :- भद्रक		राज्य :- ओडिशा	
क्र.सं	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खरिदाबिनायकपुर 100	1611	00	01	13

[फा. सं. आर-11025(11)/2/2019-ओआर-1/ई-29478]

पी० सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2020

S.O. 3523(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 1267 dated 15th May, 2019, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette no 29 on 14th to 20th July, 2019, Part- II, Section 3, Sub Section (ii), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Paradip – Somnathpur - Haldia Product Pipeline”, for the transportation of Petroleum Products in Basudebpur Tahasil of Bhadrak District in the state of Odisha by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 14.09.2019;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
TAHASIL: BASUDEBPUR		DISTRICT : BHADRAK		STATE: ODISHA	
S.NO.	Name of Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KHARIDABINAYAKPUR-100	1611	00	01	13

[F.N.R. -11025(11)/2/2019- OR-I / E-29478]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.